

Q. - Describe the main stages of the democratization of the British House of Commons since 1832

Ans. - ब्रिटिश प्रजापति जो आज अपने चरमोत्कर्ष पर 1832 के पूर्व विलुप्त अवस्था में था, नवोदय प्रतिनिधित्व प्रणाली और मंत्रालयों के अंतर्गत वर्तमान में ही था। प्रतिनिधित्व का आधार जनमत नहीं बल्कि सम्पत्ति थी। इसलिए एक कठोर मांग थी, "Only in imagination can medieval parliament be regarded as representative of the nation."

18वीं शताब्दी तक इस कुलीनतात्मक व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया था। जैसे Charles II के शासन काल से ही कुछ लोग सम्पत्ति के बिना संसद में प्रतिनिधित्व की प्रणाली खोज रहे थे। जिस बदला जाना आवश्यक था। 1776 में कोर्ट ने समाज के एक सदस्य Wilkes ने जनता की हक में प्रतिनिधित्व देने के लिए एक Bill पेश किया। जो लैमिंग हक का कोई परिणाम नहीं मिलता। फिर भी उसे हक काटने का प्रयत्न हो मिला। लेकिन वह पटल परमिट था, जिसने देश की जनता को समान प्रतिनिधित्व देने की राह दिखा दी।

निर्वाचन क्षेत्रों का 1767 ई. में प्रथम बार अधिक संख्या से काम जनसंख्या वाले क्षेत्र अपने अधिक प्रतिनिधि भेज देंगे और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में काम प्रतिनिधि भेज पाएंगे। ~~अधिक~~ 1790 ई. में बड़े शहरों का उदय हुआ जिसका मतलब समाज में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। कांसल समाज को मादनी की तुलना में ~~नहीं~~ की सदस्य संख्या अधिक थी। इसके अतिरिक्त स्वयंसेवकों, शिल्पियों आदि का प्रवेश था। इस खोज प्रणाली के कारण कांसल समाज में कुलीन प्रतिनिधियों का बोलबाला था। मंत्रालयों के तहत उन्नीसवीं शताब्दी तक, जिसके बाद 40 प्रतिशत व्यक्ति आम की संरक्षण सम्पत्ति करें। कांसली से जिन सदस्यों का चुनाव होता था उनके बाद 600 वोट व्यक्ति, आम की प्रति सम्पत्ति रखनी आवश्यक थी। कुछ मंत्रालय प्रथा नहीं करने से मंत्री की संरक्षण सिद्धि होती थी। लॉर्ड सेना तथा कांसल समाज दोनों के अधिकार समान थे। इन क्षेत्रों को संशोधन

को और पहले भी लोगों का उम्मीदना समारोह  
जिसे 1932 के प्रति हम और कोई उम्मीद नहीं है  
को 1930 की प्रोटीसी कनिंगे में रिसे सुझाते  
के लिए प्रोटीसी में वासवली हैमिंग सिमा कौमण  
दुख में प्रोटीसी का सुझाते वरि भी सुझाते थे, पर  
भंडा। जॉर्ज सुझाते के मुद्रण के बाद विविध  
सुझाते और प्रोटीसी के बाद लॉर्ड जेके प्रस्ताव  
को भी बनने से संसदीय सुझाते के लिए भाग  
प्रकार हो गया।

जो प्रतिनिधित्व एवं समाधिकार सुझाते  
के अर्थों को दूर करने के उद्देश्य से गेंडर रिलेटिव  
1931 में एक सुझात बिना प्रस्ताव किया पर गेंडर  
सुझात के समीक्षा कर पर ही किए गए। लॉर्ड जेके  
संघर्ष को गेंडर कर समा-सुझात करवाना 1938 का  
एन. बी. को लोक समा ने बहुमत से पार कर दिया  
लेकिन लॉर्ड जेका ने इसे कुछ संशोधनों से संशोधित  
कर दिया। प्रस्तावक लॉर्ड जेका को गेंडर और-  
सुझाते दल के नेतर Lord Wellington पर गेंडर  
से नेतर बरसाम। संसदीय में से पर प्रोटीसी  
इतनी जगहों के वश सुझात बनना आवश्यक हो  
गया। लॉर्ड जेके तिली कर एन. बी. को लॉर्ड  
जेका के समुदाय रमा गेंडर के लिए पार हो कर  
लॉर्ड जेका के सुझाते के लिए उपलब्ध किया गया  
एन. बी. को लॉर्ड जेका ने समीक्षा कर पार हो  
एन. बी. को एन. बी. संशोधित कर दिया कि एन. बी.  
उद्देश्य ही समाप्त हो गया। अब जेके प्रोटीसी  
कर दिया और Lord Wellington के सुझात के  
संशोधन बनाने का प्रस्ताव हुआ। लेकिन एन. बी.  
को लॉर्ड जेका। अब सुझात को पुनः जेके प्रस्ताव  
को सुझात के अर्थों में एन. बी. को एन. बी.  
संशोधित के अर्थों में एन. बी. से पार हुआ।  
संशोधित के अर्थों में एन. बी. से पार हुआ।  
संशोधित के अर्थों में एन. बी. से पार हुआ।  
संशोधित के अर्थों में एन. बी. से पार हुआ।

1932 के सुझात बिना ही से सुझात प्रस्ताव  
और एक सुझात को मने समा के प्रोटीसी प्रतिनिधित्व का  
प्रोटीसी के अर्थों में एन. बी. के अर्थों में एन. बी.  
को सुझात के अर्थों में एन. बी. के अर्थों में एन. बी.  
को सुझात के अर्थों में एन. बी. के अर्थों में एन. बी.  
को सुझात के अर्थों में एन. बी. के अर्थों में एन. बी.  
को सुझात के अर्थों में एन. बी. के अर्थों में एन. बी.  
को सुझात के अर्थों में एन. बी. के अर्थों में एन. बी.  
को सुझात के अर्थों में एन. बी. के अर्थों में एन. बी.  
को सुझात के अर्थों में एन. बी. के अर्थों में एन. बी.  
को सुझात के अर्थों में एन. बी. के अर्थों में एन. बी.

में प्रतिनिधि संसद के अधिकार के परिचय कर दिए  
 गए। 22 वर्ष बीरो के 21 बीरो को कामन  
 सम में एक प्रतिनिधि संसद का अधिकार और  
 मन्त्रिमंडल के सम्बन्धित बीरो के अधिकार को जो पुराने  
 अधिनियमों के अधीन ही था वे सब एक साथ  
 एक ही अधिनियम में आकर एक ही अधिनियम  
 बिल बनाया जो 10 वीं वर्ष के अधिनियम द्वारा  
 संसद में आया। काउन्सिल में भी 40 प्रतिनिधियों को  
 दे दिया गया, उसमें सब 10 वीं वर्ष के अधिनियम द्वारा  
 50 वीं वर्ष के अधिनियम द्वारा 10 वीं वर्ष के अधिनियम  
 को भी मन्त्रिमंडल बिल बनाया। मन्त्रिमंडल अधिनियम  
 विशिष्टता से भी संसद में लाने का अधिकार  
 कुछ विशेषताएँ हैं यह निम्नलिखित हैं कि संसद में लाने  
 का अर्थ और दूसरे पक्ष का आरक्षण भी संसद  
 जब एक ही अधिनियम को एक ही अधिनियम  
 का अधिनियम करने में ही को ही एक ही अधिनियम  
 15.70 है।

1832 के सुधार अधिनियम को पूर्णतः  
 इस मुद्दा का मन्त्रिमंडल करके, दूसरे बार संसदीय  
 सुधारों के लिए लाना सुलभ बना। कामन सम  
 अब लोकमत का प्रतिनिधित्व करने लगी है और  
 के अनुसार "सबसे सुधार बिल पास होने के  
 बाद ही और का वारंट आया और संसद में  
 अपने सीमाओं को पट्टा बना" परन्तु यह बिल कामन  
 सम को पूर्ण प्रजासैनिक नहीं बना सकी। शासन  
 सेवा कुलीनों के हाथ से विकास कार्य मन्त्रिमंडल  
 कार्य में चला आया। सर्वसाधारण के हार्थ में नहीं  
 आया और फिर एक नया से एक नही किया  
 जा सकता कि लोकमत को स्थापना की दिशा में  
 1832 का सुधार अधिनियम एक महत्वपूर्ण कार्य था  
 लेकिन यह भी निश्चित था कि समाज की पूरी  
 के साथ 1832 के सुधार बिल के महत्वपूर्ण परिवर्तन  
 मिलते। इस सुधार बिल का सबसे महत्वपूर्ण  
 परिवर्तन तो यह था कि लोकमत को राजा अब मंत्रिमंडल  
 के निर्माण से निर्देशों के द्वारा राजा अब मंत्रिमंडल  
 स्थापना था जो विपक्ष मुद्दों में यह निश्चितता करती थी  
 क्योंकि इनके सुधारों को समाज के सम्बन्ध में  
 लिए यह समाज नहीं रहा था कि यह समाज  
 अधिकांश सदस्यों को अपना समाज में रखे और इनकी  
 मन्त्रिमंडल का समाज से मन्त्रिमंडल मन्त्रिमंडल करके  
 बिल आया 1832 में → अधिनियम